सत्यनिष्ठा समझौता (आईपी)

निम्नलिखित अनुमानित कीमत वाले बोली दस्तावेज़ में 'सत्यनिष्ठा समझौता खण्ड और प्रारूप' (फ़ॉर्म-1 देखें) शामिल किया जाना चाहिए (विश्व बैंक से वित्तपोषित अनुबंधों को छोड़कर)। ऐसे सत्यनिष्ठा समझौता प्रोफ़ार्मा के हर पृष्ठ पर प्रापण/संविदा विभाग के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (यानी प्रापण/संविदा विभाग की निविदा समिति के सदस्य) के विधिवत हस्ताक्षर होने चाहिए।

सत्यनिष्ठा समझौता सभी पृष्ठ बोलीदाता को (तकनीकी बोली के साथ) वापस करने होंगे। इन पर उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसने बोली पर हस्ताक्षर किए थे, यानी वह व्यक्ति जो बोली पर हस्ताक्षर करने और अपनी कंपनी की ओर से बाध्यकारी वादे करने के लिए अधिकृत है। निविदा के दस्तावेजों में एक उपयुक्त खण्ड शामिल किया जाना चाहिए जिसके तहत बोलीदाताओं के लिए सत्यनिष्ठा समझौता पर हस्ताक्षर करना और उसे तकनीकी बोली के साथ जमा करना ज़रूरी हो।
बिना सत्यनिष्ठा समझौता के प्राप्त हुए निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। सत्यनिष्ठा समझौता अनुबंध समझौता का हिस्सा होना चाहिए।

1.	"कार्य " अनुबंधों के लिए	₹100 करोड़ और उससे अधिक
2.	“सामान और सेवाओं” के अनुबंधों के लिए	₹1.0 करोड़ और उससे अधिक

नोट: सत्यनिष्ठा समझौता को लागू करने के उद्देश्य से, परामर्शी सेवाओं की खरीद को भी "सामान और सेवाओं" की श्रेणियों में शामिल माना जाएगा। सभी स्वतंत्र बाहय निगरानीकर्ता (आईईएम) के नाम और संपर्क विवरण (ईमेल आईडी) बोली दस्तावेज़ में दिए जाने चाहिए। सत्यनिष्ठा समझौता के लिए खरीद की सीमा टीएचडीसीआईएल बोर्ड ने तय की है। संगठन का प्रापण विभाग, सीवीसी एसओपी (तारीख 14.06.23) और उसके बाद के स्पष्टीकरणों/संशोधनों (यदि कोई हों) के अनुसार आईईएम के साथ हर तिमाही बैठक करेगा। (अनुलग्नक-Y)

इस समझौते की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

1. खरीदने वाली संस्था का यह वादा कि वह सभी बोलीदाताओं के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार करेगी और ऐसा कोई लाभ नहीं मांगेगी या स्वीकार नहीं करेगी जो कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं है;
2. बोलीदाताओं का यह वादा कि वे कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं देंगे;
3. बोलीदाताओं का यह वादा कि वे कीमतों, विनिर्देश, प्रमाणीकरण सहायक अनुबंध आदि के संबंध में अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई गुप्त समझौता या सहमति नहीं करेंगे;
4. बोलीदाताओं का यह वचन (फ़ॉल क्लॉज़ के हिस्से के रूप में) कि उन्होंने वही सामान/उपकरण बोली की कीमत से कम कीमत पर न तो बेचा है और न ही बेचेंगे।

5. विदेशी बोलीदाताओं को भारत में अपने एजेंटों और प्रतिनिधियों का नाम और पता बताना होगा और भारतीय बोली लगाने वालों को अपने विदेशी प्रमुखों या सहयोगियों के बारे में बताना होगा;
6. बोलीदाताओं को एजेंटों/ब्रोकरों या किसी अन्य मध्यस्थ को किए जाने वाले भुगतान के बारे में बताना होगा।
7. बोलीदाताओं को भारत या विदेश में किसी अन्य कंपनी के साथ तय समय के दौरान की गई ऐसी किसी भी पुरानी गलतियों के बारे में बताना होगा जो भ्रष्टाचार-रोधी सिद्धांत पर प्रभाव डाल सकती है।
8. सत्यनिष्ठा समझौता में किसी भी उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
9. आईपी को 'स्वतंत्र बाहय निगरानीकर्ता' (आईईएम) के एक पैनल के ज़रिए लागू किया जाएगा, जिन्हें संगठन केंद्रीय सर्तकता आयोग से सलाह करके नियुक्त करेगा। आईईएम स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करेंगे कि पार्टियों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन किस सीमा तक किया है। सत्यनिष्ठा समझौता को लागू करने के लिए, सामान या सेवा खरीदने वाली संस्था को पूरी जांच-पड़ताल के बाद अधिक से अधिक तीन ऐसे लोगों (जिनकी उम्र 70 साल से कम हो) को आईईएम के तौर पर चुनना होगा जिनकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी हो, और फिर स्वीकृति के लिए उनके नाम सीवीसी को भेजने होंगे। आईईएम के तौर पर नियुक्ति के लिए सिर्फ़ भारत सरकार के विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम के उन अधिकारियों पर विचार किया जाएगा जो उच्च प्रबंधन पद से सेवानिवृत हुए हों, बशर्ते वे उसी संगठन में काम न कर रहे हों या वहां से सेवानिवृत न हुए हों। जाने-माने लोगों, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जजों और प्राइवेट सेक्टर के बहुत प्रतिष्ठित अधिकारियों पर भी आईईएम के तौर पर काम करने के लिए विचार किया जा सकता है। आईईएम की नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए होगी (अधिकतम कार्यकाल तीन साल का होगा)।
10. **आईईएम की भूमिका/कार्य :**

    निगरानीकर्ता किसी भी पक्ष के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं होंगे और उन्हें अपने काम निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करने चाहिए। वे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से यह देखेंगे कि पक्षों ने 'सत्यनिष्ठा समझौता' के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन किस सीमा तक किया है। इसके लिए जब भी इसकी आवश्यकता होगी, उन्हें उस निविदा से जुड़े सभी दस्तावेजों/रिकॉर्ड्स तक पहुंच होगी, जिसके बारे में उनके सामने कोई शिकायत या मुद्दा उठाया गया है। आदर्श रूप से किसी संगठन के सभी आईईएम को चल रही निविदा प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार मिलना चाहिए। आईईएम उन्हें मिली सभी शिकायतों की जांच करेंगे और शीघ्र से शीघ्र खरीद करने वाली संस्था के तय अधिकारी को अपनी सिफारिशें/राय देंगे। अगर निगरानीकर्ता को 'सत्यनिष्ठा समझौता' के उल्लंघन का पता चलता है या ऐसा मानने का कोई कारण मिलता है, तो वे खरीद करने वाली संस्था को भी सूचित करेंगे। गंभीर अनियमितताओं के संदेह के मामले में, जिनमें कानूनी/प्रशासनिक कार्रवाई की जरूरत हो, वे अपनी रिपोर्ट प्रत्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी भेज सकते हैं। एनआईटी में कम से कम एक आईईएम का नाम जरूर शामिल किया जाएगा। हालांकि, किसी भी निविदा प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों से निपटने में वांछित पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, मामले की जांच आईईएम के पूरे पैनल द्वारा की जानी चाहिए, जो रिकॉर्ड्स देखेंगे, जांच करेंगे और अपनी

संयुक्त सिफारिशें सौंपेंगे। आईईएम की सिफारिशें सलाह के रूप में होंगी और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होंगी। आईईएम की तुलना खरीद करने वाली संस्था में सलाहकारों से नहीं की जा सकती। उनकी भूमिका स्वतंत्र होती है और एक बार दी गई सलाह की समीक्षा नहीं की जाएगी। आईईएम की मौजूदगी से खरीद करने वाली संस्था के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की भूमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस मामले की जांच आईईएम कर रहे हैं, उसकी जांच सीवीओ द्वारा अलग से भी की जा सकती है, अगर उन्हें कोई शिकायत मिलती है या सीवीसी द्वारा उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है। सीवीसी ओएम नंबर 04/06/23 जो 14.06.2023 के पत्रांक सं. 015/वीजीएल/091 के ज़रिए जारी किया गया था - (अनुलग्नक-Y) के पैरा 5.6 के अनुसार, जिन अनुबंधों में 'सत्यनिष्ठा समझौता' लागू होता है, उनमें प्रबंधन और ठेकेदारों के मध्य किसी भी विवाद की स्थिति में, अगर दोनों पक्ष सहमत हों, तो वे आईईएम के पैनल के सामने मध्यस्थता के ज़रिए तय समय-सीमा में विवाद सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, संगठन इस उद्देश्य के लिए मध्यस्थता के किसी भी नियम को अपना सकते हैं। हालाँकि, किसी विशेष विवाद को सुलझाने के लिए पाँच से ज़्यादा बैठकें नहीं की जाएँगी। विवाद सुलझाने पर होने वाला शुल्क/खर्च दोनों पक्षों द्वारा बराबर-बराबर उठाए जाएँगे। अगर आईईएम के पैनल द्वारा मध्यस्थता के बाद भी विवाद नहीं सुलझता है, तो संगठन अनुबंध की शर्तों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।

टीएचडीसीआईएल के निविदा/अनुबंधों का हिस्सा रहे सत्यनिष्ठा समझौता (आईपी) के तहत, टीएचडीसीआईएल ने निम्नलिखित स्वतंत्र बाहय निगरानीकर्ता (आईईएम) नियुक्त किए हैं:

1. डॉ. प्रसेनजीत मुखर्जी (आईए एंड एएस सेवानिवृत्त)
   ईमेल: prasengitm@hotmail.com

2. डॉ. अशोक कुमार वर्मा (आईपीएस सेवानिवृत्त)
   ईमेल:vermaashokk@gmail.com

फॉर्म - 1

सत्यनिष्ठा समझौता

("**काम" के लिए** ₹100.0 **करोड़ और उससे ज़्यादा अनुमानित मूल्य वाले के लिए**, **और "सामान और सेवाओं" के लिए** ₹1.0 **करोड़ और उससे ज़्यादा मूल्य वाले अनुबंधों के लिए।**")

मध्य

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश, देहरादून-249201 में है, जिसे आगे "टीएचडीसीआईएल" कहा जाएगा।

और

.....जिन्हें आगे सामूहिक रूप से **"बोलीदाता/ठेकेदार"** कहा जाएगा

और

----------इसके बाद संयुक्त उद्यम पार्टनर/ संघ सदस्य के रूप में संदर्भित (यदि लागू हो)

प्रस्तावना

टीएचडीसीआईएल पात्र बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित करने और अनुबंध में प्रवेश करने का इरादा रखता है रखता है

"----------"

सफल बोलीदाता के साथ, निर्धारित संगठनात्मक प्रणाली और प्रक्रियाओं के तहत। टीएचडीसीआईएल भूमि के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और निष्पक्षता/पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है। अपने बोलीदाताओं और/या ठेकेदारों के साथ अपने संबंधों में।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने स्वतंत्र बाहय निगरानीकर्ता (आईईएम) का एक पैनल नियुक्त किया है, ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन के लिए जो निविदा प्रक्रिया और अनुबंध के निष्पादन की निगरानी करेगा।

धारा 1 - टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धताएँ :

(1) टीएचडीसीआईएल भ्रष्टाचार को रोकने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का संकल्प लेता है।:-

(क) टीएचडीसीआईएल का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से, निविदा या अनुबंध के निष्पादन के संबंध में, अपने या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, कोई ऐसा भौतिक या गैर-भौतिक लाभ न तो मांगेगा, न ही उसके लिए वादा लेगा और न ही उसे स्वीकार करेगा, जिसका वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

(ख) निविदा प्रक्रिया के दौरान टीएचडीसीआईएल सभी बोलीदाताओं के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार करेगा। खास तौर पर, निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, टीएचडीसीआईएल सभी बोलीदाताओं को एक जैसी जानकारी देगा और किसी भी बोलीदाता को ऐसी कोई गोपनीय या अतिरिक्त जानकारी नहीं देगा जिससे उन्हें निविदा प्रक्रिया या अनुबंध पूरा करने में कोई फ़ायदा मिल सके।

(ग) टीएचडीसीआईएल इस प्रक्रिया से सभी ज्ञात पूर्वाग्रही व्यक्तियों को बाहर रखेगा।

(2) अगर टीएचडीसीआईएल को अपने किसी कर्मचारी के ऐसे आचरण के बारे में जानकारी मिलती है जो आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत आपराधिक अपराध है, या इस संबंध में कोई ठोस संदेह होता है, तो टीएचडीसीआईएल मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

धारा 2 - बोलीदाताओं / ठेकेदारों की प्रतिबद्धताएँ:

(1) बोलीदाता/ठेकेदार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का वचन देते हैं। वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और अनुबंध को पूरा करने के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने का वचन देते हैं।

(क) बोलीदाता/ठेकेदार, प्रत्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, टीएचडीसीआईएल के किसी भी ऐसे कर्मचारी को–जो निविदा प्रक्रिया या अनुबंध को पूरा करने में शामिल हो–या किसी तीसरे व्यक्ति को, कोई ऐसी सामग्री या अन्य लाभ नहीं देंगे, जिसका वे कानूनी रूप से हकदार नहीं हैं; और ऐसा वे निविदा प्रक्रिया या अनुबंध को पूरा करने के दौरान किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं करेंगे।

(ख) बोलीदाता/ठेकेदार, दूसरे बोलीदाताओं के साथ कोई भी ऐसा समझौता या समझ नहीं करेंगे जो गुप्त हो, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह बात विशेषकर कीमतों, विनिर्देश, प्रमाणीकरण, सहायक अनुबंध, बोली जमा करने या न करने, या बोली लगाने की प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा को कम करने या कार्टेलाइज़ेशन बनाने वाली किसी भी अन्य गतिविधि पर लागू होती है।

(ग) बोलीदाता/ठेकेदार संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे; साथ ही, बोली लगाने वाले/ठेकेदार टीएचडीसीआईएल के साथ व्यावसायिक संबंध के तहत दी गई किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ (जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई या भेजी गई जानकारी भी शामिल है) का–जैसे कि योजनाएं, तकनीकी प्रस्ताव और व्यावसायिक विवरण–अनुचित इस्तेमाल (जैसे प्रतिस्पर्धा या निजी लाभ के लिए) नहीं करेंगे और न ही उसे दूसरों को देंगे।

(घ) विदेशी मूल के बोलीदाताओं/ठेकेदारों को भारत में अपने एजेंटों/प्रतिनिधियों (यदि कोई हों) का नाम और पता बताना होगा। इसी तरह, भारतीय नागरिकता वाले बोलीदाताओं /ठेकेदारों को विदेशी प्रमुखों (यदि कोई हों) का नाम और पता देना होगा। बोलीदाताओं/ठेकेदारों को "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देश" में बताई गई अन्य जानकारी भी देनी होगी। साथ ही, दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय एजेंट/प्रतिनिधि को किए जाने वाले सभी भुगतान केवल भारतीय रुपयों में ही किए जाने चाहिए। "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देश" की एक कॉपी इसके साथ जुड़ी हुई है और इसे अनुलग्नक-ए के रूप में चिह्नित किया गया है।

(ङ) बोलीदाता/ठेकेदार अपनी बोली पेश करते समय, अनुबंध के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी भी अन्य मध्यस्थ को किए गए, करने के लिए प्रतिबद्ध या करने के प्रायोजन वाले सभी भुगतानों का खुलासा करेंगे।

(2) बोलीदाता/ठेकेदार ऊपर बताए गए अपराध करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं उकसाएंगे और न ही ऐसे अपराधों में किसी तरह से शामिल होंगे।

(3) सत्यनिष्ठा समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले बोलीदाता/ठेकेदार, आईईएम के समक्ष मामले को रखते समय अदालतों का रुख नहीं करेंगे और मामले पर उनके निर्णयों की प्रतीक्षा करेंगें।

धारा 3-निविदा प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया जाना और भविष्य के अनुबंधों से बाहर रखा जाना:

(1) अगर बोलीदाता/ठेकेदार ने अनुबंध मिलने से पहले या काम पूरा होने के दौरान ऊपर दी गई धारा 2 का उल्लंघन किया है, या कोई ऐसा काम किया है जिससे उसकी विश्वसनीयता या साख पर सवाल उठता है, तो टीएचडीसीआईएल को यह अधिकार है कि वह बोलीदाता/ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दे और/या उसे अनिश्चित काल के लिए या किसी तय समय के लिए अनुबंध पाने के अयोग्य घोषित कर दे।

(2) किसी विशेष अनुबंध के लिए, सत्यनिष्ठा समझौता उस तारीख से लागू होगा जब दोनों पक्ष उस पर हस्ताक्षर करेंगे और यह अनुबंध के पूरी तरह पूर्ण होने तक या **'धारा -9 - समझौते की अवधि' में बताई गई तारीख तक** (इनमें से जो भी बाद में हो) लागू रहेगा। इसका कोई भी उल्लंघन होने पर जीएफआर, 2017, पीसी अधिएक्ट, 1988 और संबंधित संस्था पर लागू होने वाले अन्य वित्तीय नियमों/दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, बोलीदाता को अयोग्य ठहराया जा सकता है और भविष्य के व्यावसायिक लेन-देन से बाहर किया जा सकता है।

धारा 4 - नुकसान के लिए मुआवज़ा:

(1) अगर टीएचडीसीआईएल ने धारा 3 के अनुसार निविदा प्रक्रिया में बोलीदाता को अनुबंध देने से पहले अयोग्य घोषित कर दिया है, तो टीएचडीसीआईएल बोली की सुरक्षा राशि के बराबर नुकसान की भरपाई की मांग करने और उसे वसूलने का

हकदार है।

(2) यदि टीएचडीसीआईएल ने धारा 3 के अनुसार अनुबंध को अयोग्य घोषित कर दिया है, या यदि टीएचडीसीआईएल धारा 3 के अनुसार अनुबंध को समाप्त करने का हकदार है, तो टीएचडीसीआईएल ठेकेदार से अनुबंध मूल्य या प्रदर्शन बैंक गारंटी के बराबर राशि की क्षतिपूर्ति की मांग करने और वसूल करने का हकदार होगा।

धारा 5 - पूर्व उल्लंघन:

(1) बोलीदाता यह घोषणा करता है कि पिछले 3 वर्षों में किसी भी देश में भ्रष्टाचार-रोधी नियमों का पालन करने वाली किसी अन्य कंपनी या भारत में किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, जिसके आधार पर उसे निविदा प्रक्रिया से बाहर किया जा सके।

(2) यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया जा सकता है या धारा-3 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 6 - सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों के साथ समान व्यवहार:

(1) बोलीदाता/ठेकेदार, अपने सभी संयुक्त उद्यम पार्टनर ~~और पहले से बताए~~ गए उप-ठेकेदार के साथ मिलकर, इस सत्यनिष्ठा समझौता के नियमों का पालन करने का वादा करते हैं और संयुक्त रूप से इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं।

(2) उप-ठेकेदार के मामले में, मुख्य ठेकेदार अपने उप-ठेकेदार द्वारा आईपी को अपनाने की ज़िम्मेदारी भी लेता है।

(3) टीएचडीसीआईएल उन सभी बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया से बाहर कर देगा जो इस अधिनियम पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इसके नियमों का उल्लंघन करते हैं।

धारा 7- नियमों का उल्लंघन करने वाले बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक आरोप:

अगर टीएचडीसीआईएल को किसी बोलीदाता, ठेकेदार या उप- ठेकेदार, या उनके किसी कर्मचारी, प्रतिनिधि या सहयोगी के ऐसे आचरण के बारे में पता चलता है जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, या अगर इस संबंध में टीएचडीसीआईएल को ठोस संदेह होता है, तो टीएचडीसीआईएल इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को देगा।

धारा 8 - स्वतंत्र बाहय निगरानी/ निगरानीकर्ता:

(1) टीएचडीसीआईएल इस समझौते की निगरानी के लिए सीवीसी की सहमति से सक्षम और विश्वसनीय स्वतंत्र बाहय निगरानीकर्ता का एक पैनल नियुक्त करता है। निगरानीकर्ता का काम स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करना है कि पक्ष इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन किस हद तक कर रहे हैं।

(2) निगरानीकर्ता पक्षों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं होते हैं और अपने कार्यों का निष्पादन निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करते हैं। वे टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष को रिपोर्ट

करते हैं।

(3) बोलीदाता/ठेकेदार यह मानते हैं कि निगरानीकर्ता को टीएचडीसीआईएल के सभी परियोजना दस्तावेज (जिसमें ठेकेदार द्वारा दिए गए दस्तावेज भी शामिल हैं) को बिना किसी रोक-टोक के देखने का अधिकार है। यह अधिकार उस अनुबंध से जुड़े दस्तावेज के लिए है जिसके बारे में उनके सामने कोई शिकायत या मुद्दा उठाया गया हो, और जब भी इसकी ज़रूरत हो। ठेकेदार, निगरानीकर्ता के अनुरोध और वैध हित के प्रमाण पर, उन्हें अपने परियोजना दस्तावेज तक बिना किसी रोक-टोक और बिना किसी शर्त के पहुँच प्रदान करेगा। यही नियम उप-ठेकेदार पर भी लागू होता है। हालाँकि, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज/रिकॉर्ड/जानकारी और ' गोपनीय' या 'अति गोपनीय' के तौर पर वर्गीकृत दस्तावेज का खुलासा नहीं किया जाएगा। निगरानीकर्ता का यह अनुबंध के तहत दायित्व है कि वह बोलीदाता/ठेकेदार/उप-ठेकेदार की जानकारी और दस्तावेज को गोपनीय रखे।

(4) टीएचडीसीआईएल, निगरानीकर्ता को परियोजना से जुड़ी पक्षों के बीच होने वाली उन सभी बैठकों के बारे में पर्याप्त जानकारी देगा, जिनका टीएचडीसीआईएल और ठेकेदार के मध्य अनुबंधों से जुड़े रिश्तों पर प्रभाव पड़ सकता है। पक्ष निगरानीकर्ता को ऐसी बैठकों में शामिल होने का विकल्प भी देंगी।

(5) जैसे ही निगरानीकर्ता इस समझौते के उल्लंघन को नोटिस करेगा, या नोटिस करने का विश्वास करेगा, वह टीएचडीसीआईएल के प्रबंधन को सूचित करेगा और प्रबंधन से इसे बंद करने या सुधारात्मक कार्रवाई करने, या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। निगरानीकर्ता इस संबंध में गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, निगरानीकर्ता को पक्षों से यह मांग करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे एक विशिष्ट तरीके से कार्य करें, कार्रवाई से बचें या कार्रवाई को सहन करें।

(6) निगरानीकर्ता टीएचडीसीआईएल द्वारा संदर्भ या सूचना की तारीख से 8 से 10 सप्ताह के भीतर अध्यक्ष, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, अवसर आने पर, समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(7) निगरानीकर्ता उसी तरह के मुआवज़े का हकदार होगा, जैसा "टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक" को दिया जाता है।

(8) यदि निगरानीकर्ता ने अध्यक्ष टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को प्रासंगिक आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत अपराध का प्रमाणित संदेह रिपोर्ट किया है, और अध्यक्ष टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने उचित समय के भीतर ऐसे अपराध के विरुद्ध आगे बढ़ने के लिए कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की है या मुख्य सतर्कता अधिकारी को इसकी रिपोर्ट नहीं की है,

(9) निगरानीकर्ता यह जानकारी प्रत्यक्ष टीएचडीसीआईएल के केंद्रीय सतर्कता अधिकारी या सीवीसी को भी भेज सकते हैं।

(10) 'निगरानीकर्ता' शब्द में एकवचन और बहुवचन, दोनों शामिल होंगे।

धारा 9 - समझौते की अवधि:

(1) यह समझौता तब शुरू होता है जब दोनों पक्ष कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ठेकेदार के लिए यह समझौता, अनुबंध के तहत अंतिम भुगतान के 12 महीने बाद खत्म हो जाता है, और बाकी सभी असफल बोलीदाता के लिए अनुबंध दिए जाने के 6 महीने बाद खत्म हो जाता है।

(2) यदि इस दौरान कोई दावा किया जाता है/दर्ज कराया जाता है, तो वह ऊपर बताए गए समझौते की अवधि समाप्त होने के बावजूद बाध्यकारी और वैध बना रहेगा, जब तक कि टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष द्वारा उसका निपटारा/निर्णय न कर दिया जाए।

धारा 10 - अन्य प्रावधान:

(1) यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। काम पूरा करने की जगह और अधिकार क्षेत्र टीएचडीसीआईएल का कॉर्पोरेट कार्यालय, यानी ऋषिकेश है।

(2) जिन अनुबंध में 'सत्यनिष्ठा समझौता' लागू होता है, उनसे जुड़े किसी भी विवाद की स्थिति में, अगर दोनों पक्ष सहमत हों, तो वे एक तय समय-सीमा के भीतर आईईएम के पैनल के सामने मध्यस्थता के ज़रिए विवाद सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर, टीएचडीसीआईएल इस उद्देश्य के लिए मध्यस्थता के किसी भी नियम को अपना सकती है।

अगर आईईएम के पैनल द्वारा मध्यस्थता के बाद भी विवाद का समाधान नहीं होता है, तो टीएचडीसीआईएल अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

विवाद सुलझाने का शुल्क/खर्च दोनों पक्षों द्वारा बराबर-बराबर उठाए जाएंगे।

ऐसी बैठकों के लिए आईईएम को दी दिया जाने वाला शुल्क, टीएचडीसीआईएल द्वारा अन्य समय-समय पर होने वाली समीक्षा बैठकों के लिए आईईएम को दिए जाने वाले नियमित शुल्क के बराबर होगा, जिसकी अधिकतम सीमा एक वित्तीय वर्ष में 3.0 लाख रुपये होगी।

(3) परिवर्तन और अतिरिक्त शर्तें अनुबंध पूरा करने के नोटिस लिखित रूप में होने चाहिए। कोई अलग से समझौता नहीं किया गया है।

(4) अगर ठेकेदार कोई साझेदारी या संघ है, तो इस समझौते पर सभी पक्ष या संघ के सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(5) अगर इस समझौते की कोई एक या कई शर्तें अमान्य हो जाती हैं, तो भी समझौता बाकी हिस्सों के लिए मान्य रहेगा। ऐसी स्थिति में, पक्ष अपनी मूल मंशा के अनुसार किसी समझौते पर पहुँचने की कोशिश करेंगी।

ठेकेदार की ओर से

(अधिकृत हस्ताक्षर) :

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम :

पद :

कार्यालय मुहर :

स्थान :

दिनांक :

कॉर्पोरेशन की ओर से

(अधिकृत हस्ताक्षर) :

हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम :

पद :

कार्यालय मुहर :

स्थान :

दिनांक :

गवाह सं. 1 :

नाम :

पद :

पता :

गवाह सं. 1 :

नाम :

पद :

पता :

अनुलग्नक - क
(सत्यनिष्ठा समझौते के लिए)

विदेशी " आपूर्तिकर्ताओं/अनुबंध एजेंसियों" के भारतीय एजेंटों के लिए दिशानिर्देश

1.0. सभी वैश्विक (खुला) निविदाओं और सीमित निविदाओं के संबंध में, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं /ठेकेदारों की भारतीय एजेंट एजेंसियों को टीएचडीसीआईएल के पास अपनी जानकारी/ परिचय पत्र जमा करने होंगे।

1.1. टीएचडीसीआईएल द्वारा आदेश देने से पहले, एजेंट को अपने विदेशी आपूर्तिकर्ता/अनुबंध एजेंसी द्वारा जारी किया गया मूल प्रमाणपत्र (या नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि) जमा करना होगा। इस प्रमाणपत्र में एजेंसी समझौता की पुष्टि होनी चाहिए, एजेंट की स्थिति की जानकारी होनी चाहिए और एजेंट को दिए जा रहे कमीशन/पारिश्रमिक/वेतन/रिटेनर का विवरण भी शामिल होना चाहिए।

1.2. जब भी भारतीय प्रतिनिधि ने अपने विदेशी आपूर्तिकर्ता/अनुबंध एजेंसी की ओर से कोई बात कही हो और/या विदेशी आपूर्तिकर्ता/अनुबंध एजेंसी ने यह बताया हो कि वे अपने भारतीय एजेंटों को कोई कमीशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि वेतन या रिटेनर दे रहे हैं, तो अनुबंध को अंतिम रूप देने से पहले विदेशी आपूर्तिकर्ता/अनुबंध एजेंसी द्वारा इस बारे में लिखित घोषणा जमा की जानी चाहिए।

2.0. भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों (यदि कोई हों) के विवरण का खुलासा

2.1 <u>विदेशी राष्ट्रीयता वाले बोलीदाताओं को अपनी कोटेशन/बोली में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा।</u>

2.1.1. भारत में उनके एजेंट/प्रतिनिधि (यदि कोई हों) का नाम और पता, और उन्हें दी गई अधिकार और शक्ति की सीमा। यदि एजेंट/प्रतिनिधि कोई विदेशी कंपनी है, तो यह पुष्टि की जानी चाहिए कि क्या वह वास्तव में एक बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनी है, और उस कंपनी का विवरण दिया जाना चाहिए।

2.1.2. भारत में ऐसे एजेंट/प्रतिनिधि के लिए उद्धरित की गई (कीमतों) में शामिल कमीशन/पारिश्रमिक की राशि।

2.1.3. बोली लगाने वाले की ओर से यह पुष्टि कि भारत में उनके एजेंट(टों)/प्रतिनिधि(धियों) को देय कोई भी कमीशन/पारिश्रमिक टीएचडीसीआईएल द्वारा केवल भारतीय रुपयों में ही भुगतान किया जा सकता है।

3.0 भारतीय एजेंट(एजेंटों) द्वारा अपने विदेशी आपूर्तिकर्ता/अनुबंध एजेंसी के विवरण का खुलासा करना और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना।

3.1 <u>भारतीय नागरिकता वाले बोलीदाता को अपने प्रस्तावों में/उनके साथ निम्नलिखित विवरण/प्रमाण-पत्र देने होंगे।</u>

3.1.1. विदेशी आपूर्तिकर्ता/अनुबंध एजेंसी का नाम और पता, जिसमें उनकी राष्ट्रीयता और साथ ही उनकी स्थिति (यानी विनिर्माता या विनिर्माता का एजेंट जिसके पास अधिकार-पत्र हो बताया गया हो।

3.1.2. विदेशी आपूर्तिकर्ता/अनुबंध एजेंसी का विशेष अधिकार पत्र, जिसमें एजेंट को भारत में निविदा के जवाब में प्रत्यक्ष या अपने एजेंट/प्रतिनिधि के ज़रिए प्रस्ताव देने के लिए अधिकृत किया गया हो।

3.1.3. उद्धरित की गई कीमत/कीमतों में बोलीदाता के लिए शामिल कमीशन/पारिश्रमिक की राशि।

3.1.4. बोलीदाता के विदेशी आपूर्तिकर्ता/अनुबंध एजेंसी से इस बात की पुष्टि की उद्धरित की गई कीमत (कीमतों) में बोलीदाता के लिए निर्धारित कमीशन/पारिश्रमिक (यदि कोई हो) का भुगतान टीएचडीसीआईएल द्वारा समतुल्य भारतीय रुपयों में किया जा सकता है।

4.0. दोनों ही मामलों में, अनुबंध के अमल में आने की स्थिति में, तो भुगतान की शर्तों के अनुसार भारत में एजेंटो/प्रतिनिधियों को देय कमीशन/पारिश्रमिक (यदि कोई हो) का भुगतान भारतीय रुपयों में किया जाएगा।

4.1. ऊपर पैरा 2.0 और/या 3.0 में मांगी गई सही और विस्तृत जानकारी न देने पर संबंधित बोली को रद्द किया जा सकता है, या यदि अनुबंध हो जाता है, तो टीएचडीसीआईएल द्वारा उसे समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, टीएचडीसीआईएल के साथ व्यावसायिक लेन-देन पर रोक लगाने या एक निश्चित राशि का भुगतान करने जैसी अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

Annexure-Y

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-10023

सं./No. 015/VGL/091

दिनांक / Dated 14.06.2023

Circular No. 04/06/23

Subject : Adoption and implementation of Integrity Pact-Revised Standard Operating Procedure- regarding.

The Commission has reviewed the Standard Operating Procedure (SOP) for adoption of Integrity Pact (IP) by all Government Organizations, Public Sector Enterprises, Public Sector Banks, Insurance Companies, other Financial Institutions and Autonomous bodies etc. A copy of the revised SOP is enclosed, which would be applicable for adoption and implementation of the IP by the organizations concerned.

2. The present SOP is in supersession of the earlier SOP issued vide Circular No. 05/01/22 dated 25.01.2022.

WJ Keishing

(Wormila Jasmine Keishing)
Deputy Secretary

Encl.: As above

To

(i) All Secretaries of Ministries / Departments. **(This Circular may also be shared with the existing IEMs in the organizations concerned)**

(ii) All CMDs/Head of CPSUs/Public Sector Banks/Organisations. **(This Circular may also be shared with the existing IEMs in the organizations concerned)**

(iii) All CVOs of Ministries/Departments/CPSUs/Public Sector Banks/Organisations. **(This Circular may be brought to the notice of the Chief Executive of the organization concerned)**

(iv) All Independent External Monitors.

सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

1.0 पृष्ठभूमि

1.1 सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए, आयोग सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों, बीमा कंपनियों, अन्य वित्तीय संस्थानों और स्वायत्त निकायों आदि द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते (आईपी) की अवधारणा को अपनाने और लागू करने की अनुशंसा करता है।

1.2 व्यय विभाग ने दिनांक 19.7.2011 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों को आईपी के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए। साथ ही, दिनांक 20.7.2011 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से व्यय विभाग ने लोक उद्यम विभाग से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को आईपी के उपयोग हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया।

1.3 इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), बीमा कंपनियों (आईसी) और वित्तीय संस्थानों (एफआई) की बढ़ती खरीद गतिविधियों को देखते हुए, आयोग ने परिपत्र संख्या 02/02/2015 दिनांक 25.02.2015 के माध्यम से सभी पीएसबी, पीएसआईसी और एफआई को अखंडता समझौते को अपनाने और लागू करने की सलाह दी।

1.4 आयोग ने परिपत्र संख्या 05/01/22 दिनांक 25.01.2022 के माध्यम से संगठनों द्वारा अखंडता समझौते को अपनाने और लागू करने के लिए एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की।

2.0 सत्यनिष्ठा समझौता

2.1 यह समझौता मूलतः संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और क्रेता के मध्य एक अनुबंध है, जिसके तहत दोनों पक्षों के व्यक्ति/अधिकारी अनुबंध के किसी भी पहलू/चरण में किसी भी प्रकार की भ्रष्ट आचरण का सहारा न लेने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। केवल वे विक्रेता/बोलीदाता जो क्रेता के साथ इस प्रकार का समझौता करते हैं, बोली प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य माने जाएंगे। दूसरे शब्दों में, इस समझौते में प्रवेश करना एक प्रारंभिक योग्यता होगी। समझौते के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं:

- प्रमुख की ओर से यह वचन देना कि उनके द्वारा किसी भी ऐसे लाभ की मांग या स्वीकृति नहीं दी जाएगी जो कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं है।
- बोलीदाता द्वारा यह वचन देना कि वह प्रमुख के कर्मचारियों को कोई ऐसा लाभ नहीं देंगे जो कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं है;
- प्रमुख द्वारा सभी बोलीदाताओं के साथ निष्पक्षता और तर्कसंगतता से व्यवहार किया जाएगा;
- बोलीदाता अन्य बोलीदाताओं के साथ कीमतों, विशिष्टताओं, प्रमाणन, सहायक अनुबंधों आदि के संबंध में कोई भी गुप्त समझौता या सहमति नहीं करेंगे।
- बोलीदाता प्रमुख द्वारा व्यावसायिक संबंध के अंतर्गत प्रदान की गई किसी भी जानकारी को दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे और पीसी/जेपीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे।
- विदेशी बोलीदाताओं को भारत में अपने एजेंटों और प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करना होगा, और भारतीय बोलीदाताओं को अपने विदेशी मुख्य अधिकारियों या सहयोगियों का खुलासा करना होगा;
- बोलीदाताओं को एजेंटों/दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को किए जाने वाले भुगतानों का खुलासा करना होगा;
- बोलीदाताओं को किसी अन्य सार्वजनिक/सरकारी संगठन के साथ किसी भी प्रकार के उल्लंघन का खुलासा करना होगा जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है। इस संबंध में बोलीदाताओं द्वारा खुलासा करने के उद्देश्य से, ऐसे उल्लंघन की तिथि वह तिथि होगी जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त उल्लंघन का संज्ञान लिया गया था। बोलीदाताओं द्वारा ऐसे उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अवधि बोली जमा करने की तिथि से पिछले तीन वर्ष होगी। वे उल्लंघन जिनका संज्ञान उक्त तीन वर्ष की अवधि से पहले लिया गया था, लेकिन जिनका निपटारा लंबित है, उनकी रिपोर्ट भी बोलीदाताओं द्वारा की जानी चाहिए।

2.2 सत्यनिष्ठा समझौते का कोई भी उल्लंघन बोलीदाताओं की अयोग्यता और भविष्य के व्यावसायिक लेन-देन से बहिष्कार का कारण बनेगा, जैसा कि जीएफआर, 2017, पीसी अधिनियम, 1988 और अन्य वित्तीय नियमों/दिशानिर्देशों आदि के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार संबंधित संगठन पर लागू हो सकता है।

2.3 सत्यनिष्ठा समझौता (आईपी) का कार्यान्वयन संगठन द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाह्य पर्यवेक्षकों (आईईएम) के एक पैनल के माध्यम से किया जाएगा। आईईएम बोलीदाता(कों) से कोई शिकायत प्राप्त होने पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करेंगे कि क्या और किस हद तक पक्षों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन किया है।

2.4 किसी विशिष्ट अनुबंध के संबंध में सत्यनिष्ठा समझौता, दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा। आईईएम (व्यक्तिगत मूल्यांकन समितियां) बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों/शिकायतों/प्रतिबंधों की जांच करेंगी, जो खरीद और बोली प्रणाली, निविदा विधि, पात्रता शर्तें, बोली मूल्यांकन मानदंड, वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें, प्रौद्योगिकी/विनिर्देशों का चयन आदि में निष्पक्षता के अभाव के कारण होने वाले किसी भी भेदभाव से संबंधित हों।

2.5 निविदा प्रक्रिया से उत्पन्न शिकायतों के निपटान में वांछित पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, मामले की जांच आईईएम की पूर्ण समिति द्वारा संयुक्त रूप से की जानी चाहिए, जो अभिलेखों की जांच करेगी, एक विश्लेषण करेगी और प्रबंधन को अपनी संयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारण से पूर्ण समिति उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्ध आईईएम शिकायतों की जांच करेंगे। अनुपलब्ध आईईएम की सहमति रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी।

2.6 आईबीएम की भूमिका सलाहकारी है और आईईएम की सलाह संगठन पर बाध्यकारी नहीं है। हालांकि, चूंकि आईईएम अनिवार्य रूप से अनुभवी व्यक्ति होते हैं जो सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए उनकी सलाह नियमों के उचित कार्यान्वयन में सहायक होगी।

2.7 संगठन के सीवीवीओ की भूमिका आईईएम की उपस्थिति से अप्रभावित रहेगी। आईईएम द्वारा जांचे जा रहे किसी मामले की सीवीवीओ द्वारा सीवीवीसी अधिनियम या सतर्कता नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अलग से जांच की जा सकती है, यदि कोई शिकायत उन्हें प्राप्त होती है या आयोग द्वारा उन्हें निर्देशित की जाती है। शिकायतों की जांच के दौरान सीवीओ और/या सतर्कता विंग के अधिकारियों को किसी भी तरह से आईईएम द्वारा शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

3.0 आईईएम की नियुक्ति

3.1 नियुक्त किए जाने वाले आईईएम उच्च सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए। पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर आवधिक सूचना प्रकाशित की जाएगी। आयोग द्वारा उचित समझे जाने पर आवेदनों और संलग्न दस्तावेजों की विधिवत जांच और सत्यापन के बाद, आईईएम के रूप में नामांकन के लिए विचार किए जाने वाले पैनल में नाम शामिल किए जाएंगे।

3.2 आईईएम के रूप में पैनल में शामिल किए जाने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विचार क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

(i) वह अधिकारी जिन्होंने सेवानिवृत्ति के समय भारत सरकार में अपर सचिव का पद धारण किया हो या समकक्ष या उच्च वेतनमान पर रहे हों (चाहे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में कार्यरत हों)।

(ii) वे व्यक्ति जिन्होंने अनुसूची 'ए' के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद धारण किया हो और सेवानिवृत्ति के समय भारत सरकार में अपर सचिव के समकक्ष पद पर रहे हों।

(iii) वे व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति के समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों के मुख्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर रहे हों।

(iv) किसी संगठन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (उपरोक्त सूचीबद्ध संगठनों के अलावा, जो सेवानिवृत्ति के समय भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष या उससे उच्च पद पर रहे हों) ।

(iv) सशस्त्र बलों के वे अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के समय भारत सरकार के अपर सचिवों के समकक्ष या उससे उच्च वेतनमान पर रहे हों।

3.3 आयोग किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति को, यदि उसने सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी, निजी या किसी अन्य क्षेत्र में पूर्णकालिक कार्यभार स्वीकार कर लिया है, तो उसे आईईएम के पद के लिए नामांकन हेतु गठित पैनल में शामिल नहीं करेगा। ऐसे सभी पैनलबद्ध व्यक्ति, जो कहीं और पूर्णकालिक कार्यभार स्वीकार करते हैं, कार्यभार स्वीकार करने की तिथि से पैनल से बाहर हो जाएंगे। इस संबंध में, पैनलबद्ध व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वे पूर्णकालिक कार्यभार स्वीकार करने की सूचना तुरंत आयोग को दें।

3.4 आयोग अपने द्वारा बनाए गए आईईएम के पैनल में से किसी संगठन के लिए आईईएम का नामांकन करेगा। संबंधित संगठन को सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने की स्थिति में आईईएम के नामांकन के लिए अनुरोध भेजना होगा। जब भी किसी मौजूदा आईईएम का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कोई रिक्ति उत्पन्न होने की संभावना हो, तो कार्यकाल समाप्त होने से तीन महीने पहले आईईएम के नामांकन के लिए संगठन द्वारा अनुरोध भेजना होगा। इसी प्रकार, आईईएम के इस्तीफे की स्थिति में, संगठन द्वारा नामांकन के अनुरोध के साथ सूचना तुरंत आयोग को भेजी जानी चाहिए।

3.5 महारत्न और नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तीन आईईएम की नियुक्ति की जाएगी और अन्य सभी संगठनों में दो आईईएम की नियुक्ति की जाएगी।

3.6 एक व्यक्ति को एक समय में अधिकतम तीन संगठनों में आईईएम के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

3.7 पैनल में शामिल व्यक्ति को एक संगठन में तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

3.8 नियुक्ति के समय आईईएम की आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4.0 कार्यान्वयन प्रक्रिया

4.1 व्यय विभाग के दिनांक 19.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली खरीद के संबंध में भविष्य में जारी किए जाने वाले सभी प्रस्ताव अनुरोधों/निविदा दस्तावेजों में सत्यनिष्ठा समझौते का प्रावधान शामिल किया जाना है।

4.2 सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत आने वाली सभी निविदाओं में, किसी एक आईईएम का विवरण देने के बजाय, सभी आईईएम का विवरण, उनके ईमेल आईडी सहित, दिया जाना चाहिए।

4.3 संगठन का क्रय/खरीद विभाग सत्यनिष्ठा समझौते (आईपी) के कार्यान्वयन का केंद्र बिंदु होना चाहिए।

4.4 निविदा दस्तावेज में उचित प्रावधान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सत्यनिष्ठा समझौते को अनुबंध का हिस्सा माना जाए, ताकि संबंधित पक्ष इसके प्रावधानों से बाध्य हों।

4.5 आईपी में एक खंड शामिल किया जाना चाहिए कि आईपी पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति आईईएम के समक्ष मामलों का प्रतिनिधित्व करते समय न्यायालयों का सहारा नहीं लेगा और मामले में उनके निर्णय की प्रतीक्षा करेगा।

4.6 संयुक्त उद्यम के मामले में, संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों को सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए। उप-अनुबंध के मामले में, मुख्य ठेकेदार उप-ठेकेदार द्वारा आईपी को अपनाने की जिम्मेदारी लेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी उप-ठेकेदार भी आईपी पर हस्ताक्षर करें। उप-ठेकेदारों के मामले में, आईपी एक त्रिपक्षीय व्यवस्था होगी जिस पर संगठन, ठेकेदार और उप-ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

4.7 आईपी के कार्यान्वयन की अंतिम जिम्मेदारी संगठन के प्रमुख/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सीईओ के पास होती है।

5.0 आईईएम की भूमिका

5.1 आईईएम को निविदा से संबंधित सभी दस्तावेज़ों/रिकॉर्डों तक पहुँच प्रदान की जाएगी, जब भी उनके समक्ष कोई शिकायत या मुद्दा उठाया जाता है।

5.2 संगठन के खरीद विभाग द्वारा आईईएम के साथ त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाएगी। आईपी के अंतर्गत आने वाले पिछली तिमाही में दिए गए अनुबंधों का सारांश त्रैमासिक बैठक के दौरान आईईएम के साथ साझा किया जाएगा। अनुबंधों के इस सारांश में निविदा संख्या, निविदा का तरीका, प्रचार के लिए दी गई अवधि, प्राप्त बोलियों की संख्या, योग्य माने गए बोलीदाताओं की संख्या और सफल बोलीदाता का नाम और पता जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए।

I)

5.3 अनुबंधों का उपरोक्त सारांश आईईएम को यह विश्लेषण करने में सहायता करता है कि क्या संगठन द्वारा निविदा प्रक्रिया का उचित तरीका अपनाया जा रहा है, अर्थात् सीमित निविदा या नामांकन प्रक्रिया का अनुचित उपयोग तो नहीं हो रहा है, बोलीदाताओं की संख्या बहुत कम तो नहीं है, पात्रता का आकलन करते समय या तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान बड़ी संख्या में बोलीदाताओं को बाहर तो नहीं किया जा रहा है, और क्या कोई विशेष फर्म या फर्मों का समूह बार-बार अनुबंध प्राप्त कर रहा है आदि। अपने विश्लेषण के आधार पर, आईईएम प्रबंधन को उपयुक्त प्रणालीगत सुधारों और निर्णय लेने में निष्पक्षता, क्षमता निर्माण आदि के लिए उपाय सुझा सकते हैं।

5.4 पिछले छह महीनों के दौरान दी गई निविदाओं की जानकारी पर चर्चा/समीक्षा करने के लिए आईईएम और संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बीच अर्धवार्षिक आधार पर संरचित बैठकें आयोजित करना वांछनीय होगा। आवश्यकतानुसार ऐसी अतिरिक्त बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं। खरीद विभाग या संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ ऐसी सभी बैठकों का विवरण तैयार किया जाना चाहिए।

5.5 आईईएम को प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा की जांच करनी चाहिए; उनसे अधिकारियों की उत्तरदायित्व निर्धारण में हस्तक्षेप करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। संगठन के किसी भी अधिकारी द्वारा दुर्भावनापूर्ण व्यवहार के आरोपों से संबंधित शिकायतों की जांच संबंधित संगठन के सीवीओ द्वारा की जानी चाहिए।

5.6 प्रबंधन और ठेकेदार के बीच उन अनुबंधों से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में, जहां सत्यनिष्ठा समझौता लागू होता है, यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो वे आईईएम पैनल के समक्ष समयबद्ध तरीके से मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का निपटारा करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो संगठन इस उद्देश्य के लिए कोई भी मध्यस्थता नियम अपना सकते हैं। हालांकि, किसी विशेष विवाद के समाधान के लिए पांच से अधिक बैठकें आयोजित नहीं की जाएंगी। विवाद समाधान पर लगने वाले शुल्क/खर्चे दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे।

यदि आईईएम पैनल द्वारा मध्यस्थता के बाद भी विवाद अनसुलझा रहता है, तो संगठन अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।

5.7 सभी आईईएम को उस संगठन के साथ गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया है।

5.8 आईईएम को हितों के टकराव से बचने की घोषणा पर भी हस्ताक्षर करना होगा। आईईएम के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को अन्य संगठनों या एजेंसियों के साथ परामर्श जैसे अन्य कार्यभार लेने से नहीं रोका जाएगा, बशर्ते वह यह घोषित करे कि उसका अतिरिक्त कार्यभार मौजूदा कार्यभार के साथ हितों का टकराव नहीं करता है और यह पूर्णकालिक कार्यभार नहीं है। यदि भविष्य में किसी ऐसी संस्था से हितों का टकराव उत्पन्न होता है जिसमें वह सलाहकार है या रहा है, तो आईईएम को सीईओ को सूचित करना चाहिए और उस मामले से स्वयं को अलग कर लेना चाहिए।

6.0 आईईएम की पात्रता

6.1 किसी भी संगठन में, आईईएम को प्रति बैठक 25,000/- रुपये का शुल्क दिया जाएगा। हालांकि, एक कैलेंडर वर्ष में आईईएम को देय अधिकतम राशि बैठक शुल्क के रूप में 3,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।

6.2 ऐसी बैठकों के लिए आईईएम के यात्रा और आवास की व्यवस्था उनकी सेवानिवृत्ति के समय के अधिकारों के बराबर होगी। आईईएम द्वारा लिखित रूप में (ईमेल सहित) बताए गए यात्रा के तरीके के अनुसार यात्रा टिकटों की बुकिंग, स्थानीय परिवहन और आवास की व्यवस्था संगठन द्वारा की जाएगी।

6.3 प्रबंधन और ठेकेदार के बीच मध्यस्थता हेतु आईईएम द्वारा आयोजित बैठकों का शुल्क, जैसा कि उपरोक्त पैरा 5.6 में वर्णित है, आईईएम को देय शुल्क के समान होगा और आईईएम की नियमित बैठकों के शुल्क के अतिरिक्त होगा, जो वार्षिक 3,00,000/- रुपये की अधिकतम सीमा से अधिक होगा और कैलेंडर वर्ष के अनुसार गणना की जाएगी। ऐसी बैठकों के लिए यात्रा और आवास व्यवस्था उपरोक्त पैरा 6.2 के अनुसार होगी।

6.4 संबंधित संगठन आईईएम को आईईएम के रूप में अपना कार्य करने के लिए बैठक स्थल और सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा। आईईएम को सचिवालयी सहायता के बदले कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

7.0 <u>समीक्षा प्रणाली</u>

7.1 सभी संगठनों के सीवीओ, आयोग को अपनी वार्षिक रिपोर्टों और आवश्यकतानुसार विशेष रिपोर्टों के माध्यम से कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराते रहेंगे।

7.2 सभी संगठनों से आग्रह है कि वे सत्यनिष्ठा समझौते की भावना और सिद्धांतों को आत्मसात करने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारीपूर्वक और निरंतर प्रयास करें।

सतर्कता विभाग, ऋषिकेश

अंतर कार्यालय ज्ञापन

क्रमांक: टीएचडीसी/ऋषि./सर्तकता/एफ-81/2025-26/103 दिनांक: 20.05.2025

प्रेषक:	प्रेषित:
उप मुख्य सर्तकता अधिकारी, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश।	वितरण सूची के अनुसार।

विषय: सत्यनिष्ठा समझौते का अभिग्रहण एवं कार्यान्वयन - संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया - के संबंध में।

महोदय,

कृपया विषय से संबंधित संलग्न सीवीसी परिपत्र संख्या **03/04/25** दिनांक **28.04.2025** को देखें और उसका अनुपालन करें।

20/5/2025

(सतीश कुमार आर्य

प्रतिलिपि:

प्रबंधक, मुख्य सर्तकता अधिकारी सचिवालय, नई दिल्ली।

संलग्न: परिपत्र संख्या 03/04/25 दिनांक 28.04.2025

वितरण : आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अधिशासी निदेशक, टिहरी काम्पलेक्स, टिहरी।
2. अधिशासी निदेशक (केएसटीपीपी), खुर्जा।
3. अधिशासी निदेशक (तकनीकी), ऋषिकेश।
4. अधिशासी निदेशक, एनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी।
5. अधिशासी निदेशक, अरूणाचल प्रदेश परियोजना।
6. मुख्य महाप्रंधक-(सूचना प्रौद्योगिकी/ओ.एम.एस, क्यू.ए.एवं सेफ्टी/लागत अभियांत्रिकी)/एमपीएस/ईएमडी/विधि एवं माध्यस्थम, ऋषिकेश।
7. मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), वीपीएचईपी, पीपलकोटी।
8. मुख्य महाप्रबंधक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ट्रेडको जयपुर।
9. मुख्य महाप्रबंधक, के.एच.ई.पी., कोटेश्वर।
10. मुख्य महाप्रबंधक (पी.एस.पी.) टिहरी।
11. मुख्य महाप्रबंधक (पीएसपी एवं फ्लोटिंग सोलर), एनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी।
12 मुख्य महाप्रबंधक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टुस्को, लखनऊ।
13. मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), अमेलिया कोल माइन्स, सिंगरौली।
14. महाप्रबंधक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टीयूईसीओ लिमिटेड, टिहरी।
15. महाप्रबंधक, द्वारका/पाटन, गुजरात/कौशाम्बी।
16. महाप्रबंधक(मा.सं.एवं प्रशा.,कॉरपोरेट संचार/मा.संसाधन विकास)/वित्त/प्रापण/परिकल्प-I/परिकल्प-II/ परिकल्प-III/आर एंड डी, ऋषिकेश।
17. महाप्रबंधक (परियोजना) ढुकवां, झांसी।
18. महाप्रबंधक, विद्युत/ओ.एंड एम. (केएसटीपीपी), खुर्जा।
19. महाप्रबंधक (संविदा), सनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी।
20. महाप्रबंधक, विधि एवं आर.सी., टिहरी।
21. अपर महाप्रबंधक (सामाजिक एवं पर्यारवरण), ऋषिकेश।
22. महाप्रबंधक (कासरगौड़), केरल।

प्रतिलिपि-सूचनार्थ प्रेषित:

1. तकनीकी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, ऋषिकेश।
2. उप प्रबंधक, निदेशक कार्मिक सचिवालय, ऋषिकेश।
3. तकनीकी सचिव, निदेशक (तकनीकी), ऋषिकेश।
4. वरिष्ठ प्रबंधक, निदेशक वित्त सचिवालय, ऋषिकेश।

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-10023

सं./No.......015/VGL/091/57856

दिनांक / Dated 28.04.2025..............

CORRIGENDUM

Circular No. 03/04/25

Subject: Adoption and implementation of Integrity Pact-Revised Standard Operating Procedure-regarding

Reference is invited Commission's Circular No. 015/VGL/091 dated 14.06.2023 on the aforementioned subject.

2. Para 4.6 of the above circular lays down that that "In case of a joint venture, all the partners of the joint venture should sign the Integrity Pact. In case of sub-contracting, the Principal contractor shall take responsibility of the adoption of IP by the sub-contractor. It is to be ensured that all sub-contractors also sign the IP. In case of sub-contractors, the IP will be a tri-partite arrangement to be signed by the organization, the contractor and the sub-contractor."

3. The Commission is in receipt of references from some organizations citing difficulties in implementing the provisions of above para regarding sub-contractors where the IP is to be a tripartite arrangement to be signed by the organization, the contractor and the sub-contractor.

4. The Commission has considered the matter and it is decided that Para 4.6 of the above circular stands modified as follows:

"In case of a joint venture, all the partners of the joint venture should sign the Integrity Pact. In case of sub-contracting, the principal contractor shall be solely responsible for the adherence to the provisions of IP by the sub-contractor(s)."

5. This may be noted for compliance.

Roopal P

(Roopal Prakash)
Director

To

(i) The Secretaries of all Ministries/Departments of GoI (This Circular may also be shared with the existing IEMs in the organizations concerned)

(ii) All Chief Executives of CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Autonomous Bodies etc. (This Circular may also be shared with the existing IEMs in the organizations concerned)

(iii) All CVOs of Ministries/Departments of GoI/CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Autonomous Bodies etc. (This Circular may be brought to the notice of the Chief Executive of the organization concerned)

(iv) Website of CVC